

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 811]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2025 — अश्विन 23, शक 1947

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/12/3132.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16—ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/12/1064 दिनांक 02.04.2025 जारी की गई थी।

2// पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव दिनांक 23.06.2025 द्वारा जिला कबीरधाम में विद्यमान 90 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर 48 नवीन सोसाइटियों का गठन करना प्रस्तावित किया है, जिसके लिए विभाग द्वारा जिला कबीरधाम के समितियों के पुनर्गठन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ/एफ 15-11/15-02/2025/12/1894 दिनांक 07.08.2025 जारी की गई, जिसमें संबंधित सदस्य/व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार से दिनांक 22.08.2025 तक अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई थी।

3// निर्धारित समयावधि में जिला कबीरधाम की समितियों के पुनर्गठन हेतु 07 अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति प्राप्त हुई, जिसका परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत 01 आवेदन को मान्य किया गया तथा 06 आवेदन को अमान्य किया गया।

4// विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/एफ 15-11/15-02/2025/12/1064 दिनांक 02.04.2025 की कंडिका क्रमांक-5 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन, एतद्वारा, जिला कबीरधाम में विद्यमान 90 सोसाइटियों का पुनर्गठन कर अनुसूची—दो में उल्लेखित 48 नवीन सोसाइटियों का गठन करने की कार्यवाही हेतु “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” एवं अनुसूची एक, दो एवं तीन को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित कर प्रकाशित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025

01. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—

- (क) यह योजना “जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2025” कहलाएगी।
- (ख) यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।
- (ग) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कबीरधाम की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक, दो एवं तीन में अधिकथित है।

02. परिभाषाएँ:—इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961)।
- (ख) “नियम” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962।
- (ग) “पुनर्गठन” से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन।
- (घ) “प्रभावित सोसाइटी” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (ङ) “परिणामी सोसाइटी” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो।
- (च) “नवीन सोसाइटी” से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए।
- (छ) “बैंक” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव।
- (ज) “रजिस्ट्रार” से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो।

03. पुनर्गठन की रीति :—

- (क) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके, या
- (ख) किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को विभाजित करके, या

- (ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त (क) एवं (ख) दोनों में उल्लेखित रीतियों से किया जायेगा।

04. पुनर्गठन :- नियत तिथि से -

- (क) “अनुसूची-एक” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा।
- (ख) “अनुसूची-दो” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम (4) में उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे।
- (ग) “अनुसूची-तीन” के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा।

05. सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व :-

- (क) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों।
- (ख) प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो, से सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे।
- (ग) आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन सामान्यतया दिनांक 31 मार्च, 2026 की स्थिति में किया जाएगा।

06. रजिस्ट्रेशन/निरसन :-

- (क) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा।
- (ख) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा।

07. कर्मचारीवृन्द :-

- (क) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

(ख) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द मूल सोसाइटियों के कर्मचारी हो जाएंगे। इस संबंध में रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशो/मार्गदर्शन के अनुसार कर्मचारीवृन्द परिणामी सोसाइटियों में अन्तरित किए जा सकेंगे।

08. अधिकार, हित और कर्त्तव्य आदि :-

(क) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्त्तव्य बाध्यताएँ आदि उनमें ही निहित होंगी।

(ख) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्त्तव्य, बाध्यताएँ आदि निहित होंगी।

09. विवाद :- इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 64 के अधीन संयुक्त रजिस्ट्रार /रजिस्ट्रार द्वारा निराकृत किया जाएगा।

10. आदेश जारी करने की शक्तियाँ :- इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि रजिस्ट्रार समय-समय पर ऐसा निर्देश/मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन।

जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों
की पुनर्गठन योजना, 2025

अनुसूची – एक

संबद्ध बैंक : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव

क्र०	विद्यमान सोसायटी को प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
(1)	(2)	(3)	(4)
निरंक			

**जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुनर्गठन योजना – 2025**

अनुसूची-दो

संबद्ध बैंक- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)
1	2	3	4
1	बम्हनी	धमकी	धमकी, कुटेली, बीरुटोला, बाघुटोला, नवापारा, झलका
2	नेवारी	कोठार	कोठार, घुघरीखुर्द, चरडोगरी, दुल्लापुर, नवागांव (फ.) मरपा, सारंगपुरखुर्द
3	मैनपुरी	छांटा झा	छांटा झा, लासाटोला
4	रौचन	बरहट्टी	ढोगईटोला, बरहट्टी, अचानकपुर, सेवईकछार, अमरौडी
5	लालपुर कला	बेंदरची	बेंदरची, चिमरा, जैतपुरी,
6	उसरवाही	खारा	निवासपुर, बहेराखार, खारा, डोंगरिया
7	समनापुर	बम्हनी	बम्हनी, लहबर, अगरी, सुतिया, तितरी, प्लाट तितरी, उमरिया, तरमा, रोल, प्लाट रोल, सूपखार, अड़वार, नगवाही,
8	कुसुमघटा	खडौदाकला	खडौदाकला, सिल्हाटी, गण्डईकला, गण्डईखुर्द,
9	सारंगपुरकला	खरहट्टा	खरहट्टा, कारेसरा, भरेली,
10	प्रभाटोला	बैहरसरी	बैहरसरी, बघर्रा, उसलापुर,
11	हरिनछपरा	भालूचुवा	चंडालपुर, भालूचुवा, तिलईभाठ
12	भलपहरी	कबराटोला	कबराटोला, महली, सिरमी
13	स. लोहारा	बसिनझोरी	लखनपुर, बासिनझोरी, पिपरटोला छोटे, केजादाह, बनखैरा,
14	बिरनपुर कला	बुधवारा	कारेसरा, चिलमखोदरा, बनिया, कुम्हारदनिया, बुधवारा
15	बचेड़ी	छीरबांधा	छीरबांधा, किनारीटोला, कुरलू, महराटोला, रेलई, कुटकीपारा, सिंघरापारा, सारी
16	बडौदाकला	दैहानडीह	बडौदाखुर्द, पड़कीपारा, सहसपुर, दैहानडीह
17	बैजलपुर	खडौदाखुर्द	कामाडबरी, कांशीपानी प्लाट, कांशीपानी, कोकदाखार, खडौदाखुर्द, कांदापारा, गांगीडबरी, साजाटोला, खरिया, मांदीभाठा कला, मुड़घुसरी प्लाट, मुड़घुसरी, सरई
18	बोदा (तरेगांव जंगल)	सिली पचराही	मुड़घुसरी जंगल, ठाकुरटोला, कोमो, मगरवाड़ा, अमेरा, दुल्लापुर, सोनतरा, बोदा 03, पचराही, सिली, बसोरसिली, लब्दा, पुतकी, जोकपानी
19	रबेली	सूखाताल	सूखाताल, खडौदाखुर्द
20	लखनपुर	कान्हाभैरा	कान्हाभैरा, नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर
21	सोनबरसा	जरती	जरती, नाऊडीह, बोधाईकुण्डा, दौजरी, दशरंगपुर, खैरीपार, सिंघनपुरी
22	मोहगांव	रैतापारा	अधियारखोर, पलानसरी, रैतापारा
23	करपीगोड़ान	पाढ़ी	केशलीगोड़ान, पाढ़ी, रहमानकापा, बिरकोना, गांगपुर, पंडरीपथरा, लडुवा, लाडंगपुर
24	कुकदूर	महिडबरा	महिडबरा, अमनिया, नेउर, कुशियारी, बदना, घोघरा खुर्द

25	कामठी	मुनगाडीह	सिंगपुर, मुनगाडीह, मुनमुना, छिरहा, पीपरहा, टिकरवाह, कमराखोर, सगौना, बदौरा, गरगरा
26	कोदवागोड़ान	चतरी	तेलियापानी, मराडबरा, अंजवाईनबांह, चियाडांड, भैसाडबरा, टकटोइया, विचारपुर, चतरी, मंगली, मंझोली खन, गुढ़ा
27	चांटा	पोलमी	अधचरा, भेलकी, देवानपटपर, बोहिल, आगरपानी, तेलियापानी, पोलमी
28	सरईसेत	छिरपानी	अमरपुर, मदनपुर, छिरपानी, खैरडोंगरी, सरैहा
29	रणवीरपुर	पैलपार	पैलपार, बनिया, गोरखपुर, उसलापुर
30		गौरमाटी	गौरमाटी, गौरझूमर, कौटगांव
31	रणजीतपुर	सिंगारपुर (खै.)	सिंगारपुर (खै.), खैरबना, दैहानडीह, बाजगुढ़ा, सुकतरा, भण्डारपुर, ढोढमा नवापारा
32	विरेंद्रनगर	रेंगाटोला	दारगांव, दरीगांव, नवघटा, पटपर, रेंगाटोला, सबराटोला
33	धरमगढ़	टाटीकसा	टाटीकसा, मोहनपुर, दनियाखुर्द, खपरी, बिरनपुरखुर्द
34	सोनपुरी गुढ़ा	तमरुआ (मुख्यालय-चुचरुंगपुर)	तमरुआ, चुचरुंगपुर, बानो, कुआ
35	गैंदपुर	गोरखपुर कला	गोरखपुर कला, देवदहरा, सिंधौरी, रुसे, कुआ, करही
36	गोछिया	सेमरिया	सेमरिया, खैरझिटी
37	चारभांठा	राजपुर	राजपुर, अचानकपुर, गांगीबाहरा, धनेली
38	पिपरिया	मोहगांव	नवघटा, मोहगांव, गांगपुर
39	कोको	पथर्रा	मक्के, पथर्रा, खैरवार, जोगीपुर, आंछी
40	मरका	लघान	खैरझिटी, धिरघोसा, लघान, घोरेवारा, पण्डरिया
41	बिडोरा	रक्से	नरोधी, बबई, रक्से, भैसबोड
42	मोहगांव	ग. खम्हरिया	बीसाटोला, कोटराबुन्देली, ग. खम्हरिया
43	कुरुवा	कल्याणपुर	खजरीकला, कल्याणपुर, बामी, भैसबोड
44	सुरजपुरा	मोतिमपुर	कनवाटोला, मोतिमपुर, रानीदाहरा, बोटेसुर, नवागांव, भण्ड्रा नवागांव, सोन्झरी, बिगारभर्री, सरईपतेरा
45		खोलवा	टाटावाही, धनौरा, खोलवा, कटोरी, रेन्दाखाम्ही
46	जुनवानी	घानीखुटा	कन्हारी, घानीखुटा, पण्डरीपानी, रानीगुड़ा, खमहरा, छितपुरीखुर्द, छितपुरीकला, कोयलारझोरी, बेरला, पण्डरीपानी, करमदा, बोल्दा, बाईरहा, लावा
	रेंगाखारकला		बोदा-47, बछरुकोन्हा, जमुनिया
47	महली	रेंगाबोड़	अखरा, खम्हरिया, गुंझेटा, बनियाकुबा, रेगाबोड, केशलीखुर्द
48	राजानवागांव	खिरसाली	खिरसाली, बाघुटोला, छपरी, चौरा, दियाबार, छरकीकछार, रजपुरा, थवरझोल, सिंगपुर

**जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों की
पुनर्गठन योजना – 2025**

अनुसूची-तीन

संबद्ध बैंक— जिला सहकारी कन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव

क्र०	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है।
1	2	3	4	5
1	निरंक			